अध्याय 6: अन्य कर तथा कर–भिन्न प्राप्तियां

6.1.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011–12 के दौरान लेखापरीक्षा में की गई, आबकारी एवं कराधान विभाग (मनोरंजन शुल्क), विद्युत (बिजली पर कर एवं शुल्क), खदान एवं भू–विज्ञान, उद्योग तथा भू–राजस्व से संबंधित विभागीय कार्यालयों में अभिलेखों की नमूना–जांच ने 4,433 मामलों में ₹ 3.81 करोड़ की राशि के कर के अवनिर्धारण तथा राजस्व की हानि प्रकट की जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
क: आबकारी एवं कराधान विभाग (मनोरंजन शुल्क)			
1.	मनोरंजन शुल्क की अवसूली	21	0.04
ख: विद्युत विभाग (बिजली पर कर एवं शुल्क)			
1.	विविध अनियमितताएं	4,171	0.09
ग: खदान एवं भू–विज्ञान तथा उद्योग			
1.	संविदा धन के विलम्बित निक्षेप पर ब्याज की अवसूली	12	3.21
2.	रायल्टी तथा ब्याज की अवसूली	137	0.44
	योग	**149**	**3.65**
घ: भू–राजस्व			
1.	विविध अनियमितताएं	92	0.03
	कुल योग	**4,433**	**3.81**

वर्ष 2011–12 के दौरान, विभाग ने 4,290 मामलों में आवेष्टित ₹ 4.14 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिनमें से 4,271 मामलों में आवेष्टित ₹ 3.66 करोड़ 2011–12 के दौरान और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। विभाग ने 2011–12 के दौरान 42 मामलों में ₹ 53.52 लाख वसूल किये जिनमें से 23 मामलों में आवेष्टित ₹ 5.65 लाख वर्ष 2011–12 और शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

₹ 3.84 करोड़ से आवेष्टित एक व्याख्यात्मक मामला निम्नलिखित अनुच्छेद में उल्लिखित है।

खदान एवं भू–विज्ञान विभाग

6.2 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अननुपालना

खदान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम तथा पंजाब लघु खनिज रिआयत नियम निम्नलिखित प्रावधान करते हैं:

(i) पट्टा भूमि क्षेत्र से निकाले गये खनिज पर रायल्टी का उद्ग्रहण तथा रायल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का उद्ग्रहण;

(ii) संविदा धन की वसूली; तथा

(iii) निर्धारित दर पर ब्याज का उद्ग्रहण।

हमने देखा कि विभाग ने अनुच्छेद 6.2.1 में उल्लिखित मामले में ऊपर उल्लिखित प्रावधानों का पालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.84 करोड़ के बोली धन की अवसूली/कम वसूली हुई।

6.2.1 बोली धन की अवसूली/कम वसूली

हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब लघु खनिज रिआयत नियम, 1964 के अनुसार उत्खनन के लिए खनन ठेका नीलामी द्वारा अथवा उच्चतम बोलीदाता की निविदा स्वीकार करके स्वीकृत किया जाता है। बोलीदाता से, जहां संविदा का मूल्य ₹ पांच लाख से अधिक हो जाता है, बोली का 25 प्रतिशत प्रतिभूति के रूप में और वार्षिक बोली का बारहवां भाग संविदा के आबंटन पर तुरंत अग्रिम भुगतान के रूप में जमा करवाना अपेक्षित है। वार्षिक संविदा धन, प्रतिवर्ष प्रत्येक कैलेंडर माह के पहले दिन से समान अग्रिम मासिक किस्तों में देय है। भुगतान में चूक के मामले में सक्षम प्राधिकारी नोटिस देकर संविदा निरस्त तथा प्रतिभूति की राशि जब्त कर सकता है। आगे, संविदा धन की किस्त के भुगतान में चूक के अवधि हेतु, जब तक ऐसी राशि का भुगतान नहीं किया जाता, 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज भी वसूलनीय है।

खनन अधिकारी (एम.ओ.), भिवानी के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना–जांच के दौरान हमने दिसंबर 2010 में पाया कि ₹ 4.03 करोड़ की उच्चतम वार्षिक बोली राशि के आधार पर 2007–08 से 2009–10 तक के वर्षों के लिए चार ठेकेदारों को लघु खनिज उत्खनन परमिट अनुमत किए गए थे। यद्यपि ठेकेदार ने 2007–08 तथा 2008–09 तक के वर्षों के लिए बोली की देय राशि जमा करवा दी थी किंतु वर्ष 2009–10 के लिए देय ₹ 4.03 करोड़ की वार्षिक बोली राशि के विरूद्ध ₹ 99.62 लाख का भुगतान किया। विभाग ने बकाया राशि वसूल करने के लिए चूककर्त्ता ठेकेदारों के विरूद्ध कोई मांग नोटिस जारी नहीं किया अथवा कोई अन्य कार्रवाई नहीं की। विभाग ठेकेदारों से ₹ 3.04 करोड़ का शेष बोली धन वसूल करने के लिए समय पर कार्रवाई करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.84 करोड़ (₹ 80.10 लाख के ब्याज सहित) की राशि के बोली धन की कम वसूली हुई।

हमने जून 2012 में मामला सरकार को प्रतिवेदित किया। दिसंबर 2012 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने अनुच्छेद स्वीकार किया तथा बताया कि तीन ठेकेदारों के संबंध में वसूली प्रमाण-पत्र (₹ 3.00 लाख की वसूली सहित) जारी किए गए थे तथा ₹ 3.81 करोड़ की शेष राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

चण्डीगढ़ **(ओंकार नाथ)**
दिनांक: **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(विनोद राय)**
दिनांक: **भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक**